गांधीनगर में 21-24 जनवरी, 2016 को आयोजित भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 78वें सम्मेलन में माननीय अध्यक्ष का उद्घाटन भाषण

1. भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 78वें सम्मेलन में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यधिक हर्ष हो रहा है। एक वर्ष पूर्व लखनऊ में हुए सम्मेलन में हमारी मुलाकात हुई थी और अब हम इस हरे-भरे शहर गांधीनगर में पुनः एकत्र हुए हैं। इस सम्मेलन के स्थान को प्रत्येक वर्ष बदलते रहने से एक ही व्यापक उद्देश्य की पूर्ति करने के विचार के साथ एकता की भावना को बल मिलता है।

2. मुझे विशेष रूप से इस बात की प्रसन्नता है कि सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर जैसे **सुन्दर और नियोजित शहर** में किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुजरात विधान सभा ने 1973 और उसके बाद 1992 में गांधीनगर में इस सम्मेलन का आयोजन किया था। इससे पूर्व 1955 में राजकोट में भी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मैं इस सम्मेलन का स्वेच्छा से आयोजन करने और हमें इस खूबसूरत शहर में आने का अवसर प्रदान करने के लिए गुजरात विधान सभा के माननीय अध्यक्ष का हार्दिक धन्यवाद करती हूं।

3. मैं जब कभी गुजरात आती हूं तो मुझे यहां घर जैसी अनुभूति होती है। गुजरात में 'अतिथि देवो भवः' उक्ति पूरी तरह परिलक्षित होती है, क्योंकि गुजरात के लोग बहुत स्नेही और मेहमानवाज हैं। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत, इसकी हस्तशिल्प, कलाएं, व्यंजन और रंगारंग उत्सव इस राज्य को पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाते हैं।

4. गुजरात राज्य, जिसे सामान्यतः महान विभूतियों की धरा के रूप में जाना जाता है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। इस राज्य का संबंध महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे उत्कृष्ट नेताओं से है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी गुजरात से आते हैं।

5. आगे कुछ और कहने से पहले मैं केन्द्रीय विधान सभा का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय श्री विट्ठल भाई पटेल और पहली लोक सभा के अध्यक्ष दादासाहेब जी.वी. मावलंकर, गुजरात के दो महान सपूत, जिन्होंने हमें एक समृद्ध विरासत प्रदान की है, को सम्मान के साथ नमन करती हूं।

6. मैं, कुछ पीठासीन अधिकारियों और महान व्यक्तियों, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, का उल्लेख करना अपना परम कर्त्तव्य समझती हूं। सर्वप्रथम, मैं पूर्व राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जिनका 27 जुलाई, 2015 को निधन हो गया, को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं । गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में वह संसद का एक अभिन्न अंग थे। इस अवसर पर हम अपने कुछ गणमान्य सहयोगियों, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके नाम हैंः पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री हाशिम अब्दुल हलीम; केरल विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष, श्री जी. कार्तिकेयन; महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व सभापति, श्री रामकृष्ण सूर्यभानजी गवई; महाराष्ट्र विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री प्रमोद भाउराव जी शेंडे; केरल विधान सभा की पूर्व उपाध्यक्ष, श्रीमती नफीसत बीवी और मेघालय विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री पैटी रिप्पल किन्डिया।

7. मैं विशेष रूप से पीठासीन अधिकारी के रूप में श्री हाशिम अब्दुल हलीम के उत्कृष्ट करियर का उल्लेख करना चाहती हूं जिन्हें जून 1982 से मई 2011 तक किसी विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य करने का गौरव प्राप्त है। वह 25 वर्षों तक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की पश्चिम बंगाल शाखा के अध्यक्ष रहे और उस पद पर रहते हुए उन्होंने सभी राष्ट्रमंडल संसदीय आयोजनों और सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वह सितम्बर, 2005 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सभापति भी चुने गए और वर्ष 1995 तथा वर्ष 2000 में **World Federation of United Nations Associations** के अध्यक्ष चुने गए। संसदीय प्रणाली में उनका चिरस्थायी योगदान हम सभी को सदैव प्रेरणा देता रहेगा।

8. मैं आप सभी की ओर से तथा अपनी ओर से लखनऊ सम्मेलन के पश्चात् पीठासीन अधिकारी का कार्यभार ग्रहण करने वाले साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूं। मुझे विश्वास है कि वे अपने ज्ञान और अनुभव से इस मंच को मजबूती प्रदान करेंगे।

9. सहयोगी पीठासीन अधिकारीगण, आप निश्चित रूप से मेरी इस बात से सहमत होंगे कि चूंकि हमारे विधानमंडल सतत् रूप से विकसित होने वाली और गतिशील संस्थाएं हैं अतः, उन्हें बदलते समय के साथ स्वयं को ढालते रहना चाहिए। इस संबंध में भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन विधानमंडलों को स्वयं को अनुकूल बनाने, विकसित करने तथा बदलते समय की चुनौतियों का सामना करने में उनकी सहायता करने में काफी प्रभावी सिद्ध हुआ है। गत पंचानबे वर्षों के दौरान सम्मेलन में काफी परिवर्तन हुए हैं और यह परस्पर संवाद और विचारों के आदान-प्रदान का एक उद्देश्यपूर्ण मंच बन गया है। तदनुसार, न केवल संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं अपितु लोकतंत्र के कार्यकरण के विशेष संदर्भ सहित सामान्य हित के कुछ वर्तमान विषयों को शामिल करने के लिए सम्मेलन के उद्देश्यों, लक्ष्यों और कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है।

10. परंपरा के अनुसार, मैं पिछली बैठक के पश्चात् हुए कुछ महत्वपूर्ण संसदीय घटनाक्रमों और आयोजनों को संक्षेप में उल्लेख करना चाहती हूं। इस अवधि के दौरान सोलहवीं लोक सभा का चौथा, पांचवां और छठा सत्र आयोजित किया गया। सभा ने इस दौरान महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय और अन्य कार्य किए और दूरगामी महत्व के कई विधेयक पारित किए।

11. जैसा कि आपको स्मरण होगा लोक सभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पहले दो दिन अर्थात् 26 और 27 नवम्बर, 2015 को संविधान दिवस समारोह और डा. बी.आर. अंबेडकर की 125वीं जयंती के भाग के रूप में संविधान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा की गई। इस अवसर पर संविधान के सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला एक संकल्प पारित किया गया।

12. इस कार्यक्रम के साथ-साथ इसके संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार द्वारा "संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण " विषय पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसका उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।

13. एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक घटनाक्रम के अंतर्गत आचार समिति **(Ethics Committee)**, जो अब तक एक तदर्थ समिति थी, को अब लोक सभा की स्थायी समिति बना दिया गया है। लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में समिति के गठन, कृत्यों, प्रक्रिया आदि से संबंधित नए

नियम शामिल किए गए हैं और इनमें आचार संबंधी शिकायतों की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है और अध्यक्ष को नैतिक तथा अन्य दुराचार के प्रश्न को आचार समिति के पास भेजने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

14. गत वर्ष जब हम लखनऊ में मिले थे तब से अब तक संसदीय समितियों के सभापतियों और राज्य विधानमंडलों में उनके समकक्षों के चार प्रमुख सम्मेलन हो चुके हैं। संसद की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति **(Committee on Public Undertakings)** ने अपने गठन के 50 वर्ष पूरा होने पर 14 और 15 मार्च, 2015 को संसद और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों की सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सभापतियों का दो दिन का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में तेरह राज्य विधानमंडलों की सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सभापतियों ने भाग लिया था। सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों के बीच राज्य विधानमंडलों की सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के कृत्यों, पद्धति और प्रक्रिया से संबंधित नियमों को संसद की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के अनुरूप बनाने और समिति के सदस्यों के अधिक समय तक इसमें शामिल रहने को सुनिश्चित करने के लिए इसके कार्यकाल को एक वर्ष से दो वर्ष तक बढ़ाने के संबंध में व्यापक सर्वसम्मति बनी थी। इसमें संसद और राज्य विधानमंडलों की सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के बीच नियमित अंतराल पर संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया था।

15. **संसद और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों** (Public Accounts Committee) **के सभापतियों का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन** 8 और 9 सितम्बर, 2015 को नई दिल्ली में किया गया था जिसमें देश में सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही को बढ़ाने के उद्देश्य से **लोक लेखा समिति** के कार्यकरण को अधिक प्रभावी बनाने के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था। इस बात पर बल दिया गया कि सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण, केवल देश के प्रशासन को चलाने हेतु अपेक्षित धन के मतदान तक ही सीमित नहीं है अपितु इसमें निधियों का बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से व्यय सुनिश्चित करना और उन उद्देश्यों को प्राप्त करना भी शामिल है जो संसद द्वारा अनुमोदित नीतियों में अंतर्निहित हैं। इसके अलावा यह भी सर्वसम्मति बनी थी कि

सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ ही किफायत, दक्षता और प्रभावकारिता का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

16. जहां तक सम्मेलन की विषय-वस्तु की बात है इसमें विचार-विमर्श किए जाने वाले मुद्दों का निश्चित रूप से हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, अतः इन पर विस्तार से चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। **कार्यसूची का पहला विषय है- विधानमंडलों की बदलती हुई सार्वजनिक अवधारणाः लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोक आस्था को सुदृढ़ करने में विधायकों की भूमिका और विधायकों का समर्थन करने में अध्यक्षीय शोध कदम की प्रासंगिकता।** हम सभी यह जानते हैं कि प्रातिनिधिक लोकतंत्र में विधायिका एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है और यह सरकारों और नागरिकों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करती है। यह कानून बनाती है, लोक समस्याओं एवं शिकायतों को मुखर करती है, सार्वजनिक अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से बताती है और कार्यपालिका के कार्य पर निगरानी रखती है। पिछले कुछ वर्षों में, विधायिका की जिम्मेदारियों और उसके कृत्यों में कई गुना वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप विधायकों से अपेक्षाएं भी काफी बढ़ गई हैं।

17. आधुनिक संचार माध्यमों की बदौलत हमारे विधान मंडलों की कार्यवाही के प्रति आम जनता में उत्सुकता एवं जागरूकता बढ़ी है। यह प्रशंसनीय है, परन्तु विधान मंडलों में होने वाले व्यवधान और विधायी कार्यों का अपेक्षित समय में न हो पाना जनता के बीच कई प्रश्नों को जन्म देता है और कई बार संचार माध्यमों में विधान मंडलों के प्रति नकारात्मक चर्चा होती है। अतः, हम सबका यह उत्तरदायित्व है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोक आस्था एवं विश्वास को और सुदृढ़ करें।

18. विधानमंडलों की प्रभावकारिता लोक विश्वास पर आश्रित है। सामाजिक और राजनैतिक दोनों व्यवस्थाओं पर विश्वास सुशासन की अनिवार्य शर्त है। एक ओर जहां लोकतांत्रिक शासन विश्वास उत्पन्न करता है वहीं लोकतांत्रिक शासन हेतु विश्वास एक पूर्वापेक्षा है। सार्वजनिक प्रशासन को सुचारू और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए इसे जन समर्थन अर्थात् लोक विश्वास पर निर्भर होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन ऐसे समाज में सफल नहीं हो सकता जहां सामाजिक विश्वास की कमी हो। अतः विश्वास उत्पन्न करने के लिए संसद और कार्यपालिका के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध होना अनिवार्य है।

19. इस संदर्भ में, यह दोहराने की आवश्यकता है कि सभा की विश्वसनीयता और गरिमा बनाए रखने के लिए सभा में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बलपूर्वक स्थगन की घटनाएं और व्यवधानों के कारण बहुमूल्य संसदीय समय की हानि वास्तव में हम सभी के लिए चिंता का विषय है। विधान मंडलों में वैसे ही समय की तंगी रहती है और संसदीय कार्यवाही में व्यवधान हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि अध्यक्ष का लक्ष्य सदैव यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी परिस्थितियों में संसदीय मर्यादा बनाए रखी जाए और इसके लिए उसे नियमों के अंतर्गत अनुशासन संबंधी व्यापक शक्तियां प्रदान की गईं हैं परंतु सभा सदस्यों के सहयोग के बिना नहीं चल सकती। वर्तमान लोक सभा के दौरान मैंने उच्च मानदंड निर्धारित करने का प्रयास किया है ताकि अधिक से अधिक कार्य किया जा सके और वास्तव में सोलहवीं लोक सभा के चौथे सत्र के दौरान हमने इस लक्ष्य को प्राप्त भी किया है। परंतु इसके साथ ही मैं यह भी स्वीकार करती हूं कि व्यवधानों के कारण हमने बहुमूल्य समय गंवाया है हालांकि हम उसकी भरपाई और दिन का कार्य करने के लिए देर तक बैठे हैं।

20. तकनीक और सूचना क्रांति के इस दौर में जहां वैश्विक परिदृश्य में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं वहीं आर्थिक विकास की गति बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस गति से सामंजस्य रखने के लिए विधान मंडलों से भी यह अपेक्षा है कि वे अपनी विधायी जिम्मेदारियों को समयपरक रूप से कार्यान्वित कर देश को प्रगति के मार्ग पर और गतिशील बनाएंगे। दुनिया का सबसे युवा देश होने के कारण हमारे युवा वर्ग की अनेक समस्याएं एवं अपेक्षाएं हैं जिन्हें पूरा करने का एकमात्र उपाय सुशासन और विकास है। इस सुशासन और विकास को सुनिश्चित करने में विधान मंडलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विधान मंडलों के कार्य दिवस लगातार कम हो रहे हैं और उसमें भी यदि व्यवधान के कारण विधायी कार्य नहीं हो पाता है तो आम जनता में विधायिका के प्रति नकारात्मक अवधारणा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यह देश के नागरिकों के लिए चिन्ता का विषय है कि विधान मंडलों में Discussion एवं Debate कम हो रहे हैं। Discipline और Decorum में गिरावट आ रही है और Disturbance और Disruption बढ़ रहा है। इससे विधान मंडलों की छवि पर असर पड़ रहा है। किसी भी जीवन्त लोकतंत्र में विधान मंडल के सदस्यों को अपने विचार एवं

असहमति प्रकट करने का पूरा अधिकार है। लेकिन, यह असहमति लोकतंत्र में स्वीकार्य मर्यादाओं के भीतर ही दर्ज की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विधायी कार्य में रूकावट न आए। किसी भी जीवन्त एवं क्रियाशील लोकतंत्र में opposition should have its say and Government should have its way.

21. लोक सभा अध्यक्ष के रूप में हाल ही में मुझे स्कूली बच्चों, मीडिया प्रतिनिधियों एवं विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात एवं परस्पर संवाद का अवसर मिलता रहता है। इन सभी ने स्वाभाविक रूप से संसदीय कार्यवाही पर कई प्रश्न किए। जिससे मुझे यह आभास हुआ कि जनमानस में विधायिकाओं एवं जनप्रतिनिधियों के बारे में प्रश्नचिह्न है। हमें इस प्रश्नचिह्न को सुलझाना है और विधायिकाओं की image and productivity को और बेहतर करना है।

22. लोक विश्वास में वृद्धि करने के लिए हम विधायकों को नागरिकों तक अपनी पहुंच बढ़ानी होगी, संवादों के नए क्षेत्र विकसित करने होंगे और लोक शिकायतों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करना होगा। हमें नीति निर्माण और कानून बनाने के विभिन्न स्तरों पर जनता को जोड़ना होगा। सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाकर उन्हें शिक्षित करने से लोकतान्त्रिक संस्थाओं में उनका विश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन यह तभी किया जा सकता है जब स्वयं हमें पूरी जानकारी हो।

23. ज्ञान की प्रचुरता वाले इस युग में, जहाँ सूचना की अधिकता सूचना न होने की अपेक्षा एक बड़ी समस्या है, यह आवश्यक है कि विधायकों को जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्यों, गरीबी उन्मूलन, शांति स्थापना, महिलाओं के सशक्तिकरण, आतंकवाद जैसे समसामयिक मामलों के संबंध में निष्पक्ष, उद्देश्यपरक और सटीक जानकारी हो। जन प्रतिनिधियों के रूप में सदस्यों की प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रबोधन और बौद्धिक विकास का अत्यधिक महत्व है जिसका प्रभाव विधानमंडलों के कार्यकरण पर पड़ता है। इसके लिए सदस्यों को नियमों की पूरी जानकारी, संवैधानिक प्रावधानों की पर्याप्त समझ और संवैधानिक योजना में संसद की स्थिति तथा संसदीय परंपराओं, प्रथाओं और परिपाटियों का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। सदस्यों को व्यापक महत्व के मुद्दों पर एक संतुलित मत बनाने के लिए जानकारी एक पृष्ठभूमि का कार्य करती है। इस प्रकार, क्षमता निर्माण एक सतत अभ्यास है और सदस्यों

को विभिन्न क्षेत्रों के डोमेन विशेषज्ञों के विचारों को जानना भी आवश्यक है ताकि वे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में और समितियों की चर्चा में प्रभावी रूप से भाग ले सकें और मूल्यवान जानकारी उपलब्ध करा सकें।

24. इस सन्दर्भ में Speaker's Research Initiative (SRI) नामक एक नई पहल की संकल्पना की गई थी और इसकी स्थापना विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में व्यापक जागरूकता पैदा करने और मुद्दों की गहन समझ के लिए हमारे सदस्यों की उच्च कोटि की जानकारी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। अध्यक्षीय शोध कदम जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था की स्थापना 23 जुलाई 2015 को की गई थी और जिसमें एक विशेषज्ञ कोर ग्रुप है जिसका कार्य सदस्यों हेतु विशेष रूप से तैयार किए गए व्याख्यानों और कार्यशालाओं का आयोजन करना है और उन्हें संतुलित जानकारी उपलब्ध कराना है। यह सांसदों और डोमेन विशेषज्ञों के बीच संवाद स्थापित कराना है जो अनुरोध और अशोक के वर्तमान कार्य एजेंडा के अनुसार उन्हें सहायता उपलब्ध कराते हैं। इसे एक दो तरफ़ा संपर्क प्रक्रिया के रूप में बनाया गया है जिसमें सांसद अपने फीड बैक के साथ-साथ इस पहल को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए अपने मूल्यवान सुझाव भी देते हैं।

25. अपने शुरूआती दौर में ही अशोक ने उन मुद्दों पर काम करना शुरू कर दिया है जिन्हें कई सांसद आमतौर पर जटिल और तकनीकी प्रकृति का मानते हैं क्योंकि वे उस विषय में पारंगत नहीं होते हैं । इन विषयों में वित्तीय और राजकोषीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और तकनीक संबंधी मुद्दे और सामजिक क्षेत्रों के स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

26. इस सम्मलेन के दौरान चर्चा के लिए चुना गया दूसरा मुद्दा है सभा की बैठकों में दौरान सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और वाद - विवाद की गुणवत्ता सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय तथा राज्य विधान मंडलों में एक वर्ष में सदन की न्यूनतम 60 बैठकें सुनिश्चित करने की आवश्यकता। साथ ही इस विषय का प्रभाव पहले विषय पर भी पड़ेगा जिसमें हम लोकतान्त्रिक विधानमंडलों में सार्वजनिक आस्था पर चर्चा कर रहे हैं। हम सब मानते हैं और यह आवश्यक भी है कि सभा बिना व्यवधान और जबरन स्थगनों

के सुचारू रूप से कार्य करे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, तो सुशासन देना और विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना कैसे संभव होगा ? यह स्थिति तब और अधिक गंभीर हो जाती हैं जब वर्ष में विधानमंडल की न्यूनतम बैठकें भी नहीं हो पाती हैं। संसदीय प्रणाली की प्रभावकारिता सभा की कार्यवाही में सदस्यों के सहयोग और भागीदारी तथा हमारे द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर किए जाने वाले वाद विवाद की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। विधायकों के रूप में यह हमारा उत्तरदायित्व और कर्तव्य है कि हम पूरी गंभीरता के साथ संसदीय कार्यवाही में भाग लें और महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में भी पर्याप्त जानकारी रखें तथा उद्देश्यपरक, वास्तविक और नवीनतम जानकारी हासिल करें।

27. हमने इस विषय पर कई बार विचार विमर्श किया है और एक सहमति भी बनाई है। 1998 में, पीठासीन अधिकारियों के 62 वें सम्मेलन में प्रक्रियागत समानता और सभा के समय के बेहतर प्रबंधन के विषय पर गहन विचार-विमर्श किया गया था। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, श्री नारायण एस. फराडे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसने **जून 2001 में चंडीगढ़ में हुए 44वें सम्मेलन में एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी** जिसमें समिति ने अन्य बातों के साथ - साथ यह सिफारिश की थी कि बैठकों की न्यूनतम संख्या के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान होने चाहिए और सुझाव दिया कि बड़े राज्यों के लिए 100 बैठकें और छोटे राज्यों के लिए 60 बैठकें निर्धारित होनी चाहिए। तथापि, यह जानकर दुःख होता है कि सुविचारित प्रयासों के बाद भी हमें संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। अब समय आ गया है कि सभा में चर्चा के दौरान सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और हमारे विधानमंडलों में बैठकों की न्यूनतम संख्या भी निर्धारित की जाए।

28. मुझे आशा हैं कि इन दो विषयों पर सार्थक और सृजनात्मक चर्चा होगी और मुझे विश्वास है कि आपका **व्यावहारिक ज्ञान** और जानकारी इन चुनौतियों का एक प्रभावी तरीके से समाधान करने में पीठासीन अधिकारियों की सहायता करेगी।

29. अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपका ध्यान 'रिसर्जेंट इंडिया' के निर्माण में हमारी महिला विधायकों की भूमिका को रेखांकित करने के लिए नई दिल्ली में 5 और 6 मार्च 2016 को प्रस्तावित महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मैं पहले ही आप सभी को व्यक्तिगत रूप से इन महत्वपूर्ण सम्मेलन के लिए **सूचित** कर चुकी हूँ। हमारा उद्देश्य यह है कि महिला विधायकों की नैसर्गिक क्षमता और प्रभाव को कैसे नई दिशा दी जाए और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने तथा सुशासन स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के संबंध में विचार व्यक्त करने हेतु किस प्रकार मंच प्रदान किया जाए। मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आप मुख्य एजेंडे के विभिन्न घटकों पर अपने राज्यों की महिला विधायकों के साथ चर्चा करें ताकि जब वे उस सम्मेलन आएं तो आपके राज्य के दृष्टिकोण के विषय मदों के सन्दर्भ में उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में बता सकें। मुझे आशा और विश्वास है कि हमारी महिला विधायकों का सम्मेलन बहुत ही सार्थक होगा और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मुझे आपके समर्थन की आवश्यकता है।

30. मैं एक बार फिर गुजरात विधान सभा के माननीय अध्यक्ष और इस आयोजन से जुड़े सभी अन्य लोगों को इस सम्मेलन के लिए किए गए उत्कृष्ट प्रबंधों के लिए धन्यवाद देती हूँ।

31. इस अवसर पर हम लोकतंत्र के बारे में गांधी जी के विचारों का स्मरण करें और मैं उद्धृत करती हूं,''**जब भी तुम्हें सन्देह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओः**

जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानि क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त हैं?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।''

32. उन्हीं शब्दों के साथ, मैं भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 78 वें सम्मेलन का उद्घाटन करती हूँ।

धन्यवाद।